सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम पर किसानों को सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार की ओर से **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)** योजना के तहत **75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम** के लिये ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर 19 जनवरी 29 जनवरी 2024 तक किये जा सकेंगे।

मुख्य बिंदु:

- **पीएम-कुसुम योजना** के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करके सिंचाई का अवसर प्रदान करना है।
- इसके तहत **3 Hp से 10 Hp सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम** के लिये आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन **परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार** पर किया जाएगा।
- चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी **सूचना आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर** पर प्राप्त होगी।
- हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गाँवों जहाँ **भूजल स्तर 100 फीट** से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है।
- अन्य किसानों को **भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली** को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में **भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर** गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

- **पीएम-कुसुम** भारत सरकार **द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है,** जिसका प्राथमिक उद्देश्य **सौर ऊर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र** में बदलाव लाना है।
- यह मांग-संचालित दृष्टिकोण पर कार्य करती है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से प्राप्त मांगों के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।
- विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से **पीएम-कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक 30.8 गीगावॉट** की महत्त्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/subsidy-to-farmers-onsolar-energy-pumps